न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 17/2019

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी तह. पिण्डवाडा ।
2. श्रीमती समकी देवी पत्नि श्री मगाराम जाति रेबारी निवासी चवरली ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.11.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी दो के हक में जारी पट्टा संख्या 10171 दिनांक 28.10.2014 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। अप्रार्थी संख्या–2 को सदोष लाभ देने के नियत से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया है जो कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने एवं पट्टा जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है । अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है। पुराना कब्जा एवं मकान बना हुआ बिना किसी आधार के पंचायत ने माना है जो [illegible] आदर्श डूंगरी को आबादी भूमि में ही विक्रय विलेख जारी करने का अ[illegible] कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को मौजा चवर[illegible] संख्या 338 रकबा 97.03 भूमि किस्म गै.मु. पह[illegible] है जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि राज[illegible] 1996 के नियम 157(2[illegible] अन्तर्गत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में जिस व्यक्ति [illegible] र्ष 2003 से पूर्व का अ[illegible] हो तो उस परिवार में महिला मुखिया के नाम से निःशुल्क पट्टा जारी किया जाएगा, लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:18:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विवादित पट्टा ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा सरकारी बिलानाम भूमि का पट्टा जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के संबंध में वर्ष 2003 से पूर्व का अतिक्रमण अथवा कब्जा की पुष्टि में कोई दस्तावेज भी प्राप्त नहीं किए है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना फरमाकर ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 10171 दिनांक 28.10.2014 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी की आबादी भूमि थी, जिस पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा था जिस पर पंचायत द्वारा आम बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त पट्टा संख्या 10171 दिनांक 28.10.2014 जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 338 किस्म गै.मु.पहाड में उक्त विवादित पट्टा जारी करने का कथन गलत है। यह है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो अपने मवेशी को बांधने एवं उनके चारा इत्यादि के संग्रहण के रूप में लिया जा रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में कतई चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो सारहीन व आधारहीन होने से खारिज के काबिल है। यह है कि उक्त पट्टे को अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उपपंजीयक कार्यालय पिण्डवाडा से नियमानुसार पंजीयन करवाया हुआ है एवं उक्त पंजीयनशुदा दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाए बगैर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो परिपोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

मैने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के लायक अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में पुराने कब्जेशुदा भूमि/भवन का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 लिया जाकर अप्रार्थी संख्या दो के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 10171 दिनांक 28.10.2014 को 2700 वर्गफीट क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया है। नियम 157(2) इस प्रकार है–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा सरकारी बिलानाम भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी की रिपोर्ट दिनांक 12.06.2019 से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि मौजा चवरली के सरकारी बिलानाम खसरा संख्या 338 रकबा 54.5719 किस्म गै.मु. पहाड है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी की आबादी भूमि है परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता उक्त विवादित भूमि को आबादी भूमि साबित करने में असफल रहे है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी की आबादी भूमि न होकर मौजा चवरली के खसरा संख्या 338 रकबा 54.5719 किस्म गै.मु.पहाड है, जिसका ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। यह है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार वर्ष 2003 से पूर्व का कब्जा होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:18:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

के आधार परिवार की महिला मुखिया के नाम से जारी किया जाता है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा अथवा अतिक्रमण वर्ष 2003 से पूर्व के होने का किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त विवादित पट्टे को जारी करने की प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा वर्ष 2003 पूर्व का पाया जाता हो। अतः ऐसी स्थिति मे पट्टेधारी का पट्टा खारिज कर उसे मौके से बेदखल करना न्याय संगत होगा। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो अधिवक्ता द्वारा किया गया पंजीकृत पट्टे का सवाल है तो न्यायालय में उपस्थित विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में बताया गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential. अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 10171 दिनांक 28.10.2014 एवं प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 20.09.2014 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:18:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner